

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:- नर्सिंग/प्रसाविका/(नाम विलोपन) /2024/62

दिनांक:- 28/03/2024

—:आदेश:—

श्रीमति कुमारी दुर्गेश, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेवर जिला भरतपुर जिनकी जन्मतिथी दिनांक 02.07.1981 है का दिनांक 03.07.2023 को राज्य सेवा में रहते हुये स्वर्गवास हो जाने पर राज्य सेवा से दिनांक 03.07.2023 से एतद द्वारा नाम विलोपन/पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर
दिनांक:-

क्रमांक:- नर्सिंग/प्रसाविका/(नाम विलोपन) /2024/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेवर जिला भरतपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अराजपत्रित/टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबधित कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी के।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
6048828

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 22-03-2024 06:35:39